भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 128B/2016-17

मनुराम महतो **बनाम** सरोजनी देवी

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
16-05-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 486 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 128 B/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता मनुराम महतो पिता-स्व0 निराकर महतो, ग्राम-जोरडीहा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां ने परिवारिक खर्च हेतु क्रेता सरोजनी देवी, पति-प्रफुल्ल कुमार महतो, ग्राम-डांगरडीहा, थाना-सरायकेला जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
दुगनी	199	351	890	17½डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक के हिस्से में 4.16½ एकड़ जमीन है, विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। जिसमें से 17½ डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.99 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 17½डी0 भूमि बिकी करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

16/05/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner